पुलिस आदेश सं० २४०/९४

विषय—अनुसंधानकों के स्थानान्तरण के पश्चात् उनकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय में कठिनाई के संबंध में ।

विगत कुछ वर्षों में ऐसा पाया जा रहा है कि इस राज्य के विभिन्न न्यायालयों के द्वारा गवाहों के विरुद्ध निर्गत सम्मन जिला के आरक्षी अधीक्षक के माध्यम से तामिल नहीं हो रहा है । कुछ दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष रखे गये, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी भी दी गई ।

यद्यपि न्यायालयों के द्वारा गवाहों के विरुद्ध निर्गत सम्मन के तामिला के संबंध में पूर्व में भी कई आदेश निर्गत किये गये हैं, तथापि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरक्षी अधीक्षकों के द्वारा इस दायित्व का निर्वहन उस तत्परता मे नहीं किया जाता है, जो उनसे अपेक्षित है ।

२. ज्ञातव्य होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा ६२ के अन्तर्गत सम्मन निर्गत किया जाता है, और उसे तामिला हेतु किसी भी पुलिस पदाधिकारी को भेजा जा सकता है । अग्रतर यह स्पष्ट होगा कि पुलिस एक्ट-१८६१ की धारा २३ के तहत पुलिस पदाधिकारी का कर्त्तव्य केवल अनुसंधान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों को न्याय की पकड़ में भी लाना है । इस प्रकार की भावना माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने जॉन अलवर्ट मिंज बनाम बिहार सरकार (१९८५ P.L.J.R पृष्ठ-३३७) में भी व्यक्त किया है ।

३. एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अनुसंधानकर्त्ता अ० नि० वर्मेश्वर नाथ चौबे को सम्मन के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण सूचक को बतौर खर्च सरकार के द्वारा २०,०००/-(बीस हजार) रुपये देने का आदेश दिया । सरकार इस आदेश के आलोक में इस खर्च की भरपाई अ०नि० से कर सकती थी । (१९८७ P.L.J R. पृष्ठ ११६६)

क़ानूनी तौर पर भी पुलिस हस्तक के विभिन्न नियमों के अनुसार आरक्षी अधीक्षक का दायित्व अभियोजन क्षेत्र में बरकरार है । पुलिस हस्तक नियम १७७, २४५ एवं ३०२ इस दिशा में द्रष्टव्य है । इसी आशय का पूव में भी पुलिस आदेश संख्या-७४/८४ देखा जा सकता है ।

महानिदेशक के कार्यालय से भी इस बिन्दु पर उनके अर्द्ध-सरकारी पत्र ६१५/एन० जी० ओ० दिनांक १३-५-८८ एवं ज्ञापांक ३६५७/एल-१ दिनांक २३-११-९३ निर्गत किये जा चुके हैं ।

४. सभी आरक्षी अधीक्षकों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने आरक्षी कार्यालय में एक अभियोजन कोषांग अविलम्ब शुरू करायें । उक्त कोषांग में एक पंजी संधारित की जाए और जिला से संबंधित न्यायालयों में लम्बित मुकदमों को ट्रायल संख्या के साथ क्रमानुसार भर लिया जाये । सरकारी गवाहों का नाम एवं पदस्थापन उस पंजी में मुकदमें के सामने अंकित कर लिया जाये ताकि यह विदित हो सके कि कौन सरकारी गवाह किस अभियोग में साक्षी है ।

अभियोजन कोषांग के पंजी में संबंधित स्थानान्तरण आदेश/जिला आदेश भी प्रविष्ट किया जाये । इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी गवाहों के विरुद्ध निर्गत सम्मन की एक अलग पंजी अभियोजन कोषांग में रखी जाये, जिसमें तामिला संबंधी प्रक्रिया थाना क्रमानुसार प्रविष्ट किया जाये ।

इसके अतिरिक्त इस मुद्दे पर जो अन्य निर्देश पूर्व में दिये गये हैं उसका भी कठोरतापूर्वक अनुपालन कराया जाये ।

सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अनुसंधानक तथा डाक्टर जैसे सरकारी गवाह भी सम्मन पर नहीं आते हैं ।

५. आरक्षी अधीक्षक कृपया युद्धस्तर पर अपनी ओर से सभी अनुसंधानकों की वर्तमान सूची और उनके पिछले दस वर्षों में पदस्थापन की विवरणी तैयार करा लें, जिसे कम्प्यूटर निदेशालय के द्वारा भेजे गये FORMAT में भरकर वापस भेज दिया जाए जिससे कि पूरे राज्य भर में सभी अनुसंधानकों के पदस्थापन की सूचना एक जगह समेकित रूप से मिल सके । इसे तैयार हो जाने पर सभी आरक्षी अधीक्षकों को भेजा जायेगा और वे आवश्यकतानुसार इसका उपयोग न्यायालय को मदद करने में करेंगे ।

इसी प्रकार का प्रयास सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भी कराया जा रहा है ।

इस प्रयास में जो समय लगेगा उसके दौरान पूर्व में जो निर्देश दिए गए हैं उस पर सभी आरक्षी-अधीक्षक अमल करेंगे ।

विजय जैन

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार,पटना

ज्ञापांक- १४७ / ४३-१-७-९३ /एल-१

दिनांक १७ जनवरी, १९९४

प्रतिलिपि :- १. महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

२. अपर महानिदेशक, तकनीकि सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

३. महानिरीक्षक, विशेष शाखा/अप० अनु० वि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

४. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

५. सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक/आरक्षी उप-महानिरीक्षक, रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

६. सभी आरक्षी अधीक्षक/रेल आरक्षी अधीक्षक को अनुपालनार्थ ।

७. प्रशाखा पदाधिकारी, पी० १, कृपया पुलिस आदेश वाली फाईल में रखें ।

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कार्मिक)
बिहार, पटना